Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages - 52

Time : 3 Hours समय : तीन घंटे	Maximum Marks : 100 पूर्णांक : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book" and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case the candidature of the candidate shall be rejected for the entire examination.
3. If a candidate is found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with invigilating Staff or cheating, will render him liable for disqualification. He shall also be liable for prosecution under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The question paper is divided into two parts A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the "Question Paper-cum-Answer Book", each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question by marking sign of correct (✓) in the box of right answer option amongst the boxes provided for against each option and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
6. The answers of the questions in the Part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise such answer shall not be assessed by the examiner.
7. Candidates do not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
8. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking that language in box of medium of answer on the flap.
9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
10. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of invigilator for change at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
11. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the examination hall.

https://www.pyqonline.com

Part-A / भाग–अ
Objective / वस्तुनिष्ठ

Note:- Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark. (Total Marks for this Part are 20)
नोटः– समस्त 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। (इस भाग हेतु कुल अंक 20 हैं)

Question No.1

That 'A', in good faith for the benefit of his child but without his consent, knowing it fully well that death of the child might be caused, if he was subjected to surgery and got him operated upon by a surgeon with intention of getting the stone removed but the child died. The act of 'A' is:-

(A) a cognizable offence because 'A' has not taken required precautions before the surgery. ☐

(B) punishable under law, if negligence of 'A' is proved. ☐

(C) is not an offence because 'A' did so in good faith for the benefit of the child so that he was cured of the disease and therefore his act being covered by the general exception under Section 89 of the Indian Penal Code is protected from any criminal law. ☐

(D) is not an offence because he did so in good faith for the benefit of the child without his consent and therefore is protected by Section 92 of the Indian Penal Code. ☐

प्रश्न संख्या 1

यह कि 'क', सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिये अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि यदि उसकी शल्यक्रिया की जाती है तो उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, पथरी निकलवाने के आशय से शल्यक्रिया करवाता है, किन्तु शिशु की मृत्य हो जाती है । 'क' का कृत्यः–

(अ) संज्ञेय अपराध है, क्योंकि शल्य क्रिया से पूर्व 'क' ने अपेक्षित पूर्व सावधानियां नहीं बरतीं। ☐

(ब) विधितः दण्डनीय है, यदि 'क' की लापरवाही प्रमाणित होती है । ☐

(स) अपराध नहीं है, क्योंकि 'क' ने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ, उसको रोगमुक्त होने हेतु किया है अतः उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत सामान्य अपवाद में होने से किसी भी आपराधिक कार्यवाही से संरक्षित है । ☐

(द) अपराध नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ बिना उसकी सहमति के किया है अतः वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत संरक्षित है । ☐

Question No.2

For how much period an accused, convicted of non-cognizable offence on the basis of complaint, can be sentenced to suffer simple imprisonment for his failure to pay to the complainant the cost incurred by him in prosecution:-

(A) not exceeding 60 days. ☐

(B) not exceeding 30 days. ☐

(C) not exceeding 15 days. ☐

https://www.pyqonline.com

(D) any other punishment prescribed by law but not exceeding to original punishment.

प्रश्न संख्या 2

परिवाद पर संस्थित किसी असंज्ञेय अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त को, परिवादी द्वारा अभियोजन में वहन किए गए खर्चे की अदायगी में असफल रहने पर, कितनी अवधि हेतु साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकता है :–

(अ) 60 दिवस से अनधिक अवधि का ।

(ब) 30 दिवस से अनधिक अवधि का ।

(स) 15 दिवस से अनधिक अवधि का ।

(द) विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश, किंतु मूल सजा से अधिक नहीं।

Question No.3

Which of the following statements under Section 436-A of Code of Criminal Procedure, 1973, is correct for computation of the period of detention undergone by the accused at the time of his release with or without sureties:-

(A) the period of police custody shall be excluded.

(B) the period of judicial custody during investigation shall be excluded.

(C) computation of the period of detention shall be dependent on the discretion of the court.

(D) the period of delay caused by the accused in completion of the trial shall be excluded from the period of his detention.

प्रश्न संख्या 3

धारा 436–क दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने के समय निरूद्ध अवधि की गणना करने के संबंध में कौनसा कथन सही है:–

(अ) पुलिस अभिरक्षा की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा ।

(ब) अन्वेषण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा।

(स) निरूद्ध अवधि की गणना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर होगी ।

(द) अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किये गये विलंब के कारण भोगी गयी निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा ।

Question No.4

Which of the following statements is not correct:-

(A) an admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that, if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under Section 32.

(B) an admission may be proved by or on behalf of the person making it, if it is relevant otherwise than as an admission.

(C) an admission is relevant against the person who makes it.

(D) an admission may not be proved by or on behalf of the person making it, when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body, relevant or

https://www.pyqonline.com

in issue, made at or about the time when such state of mind or body existed, and is accompanied by conduct rendering it as falsehood and improbable.

प्रश्न संख्या 4

निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है:–

(अ) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। ☐

(ब) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है। ☐

(स) स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सुसंगत है। ☐

(द) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित नहीं की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्यक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था, जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ हैं जो उसकी असत्यता को अनधिसंभाव्य कर देता है। ☐

Question No.5

'A', who is not a public servant, abets 'B', who is a public servant, to commit an offence under Section 11 of the Prevention of Corruption Act, 1988, but no offence is committed by 'B' pursuant to such abetment. Which of the following statements is correct according to the above Act:-

(A) 'A' cannot be convicted because he is not a public servant. ☐

(B) 'A' could be convicted, if 'B' had committed the offence for which he was abetted. ☐

(C) 'A' can be convicted for his act. ☐

(D) None of the above is correct. ☐

प्रश्न संख्या 5

'क', जो कि एक लोक सेवक नहीं है वह 'ख', जो कि एक लोकसेवक है, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। किन्तु ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप 'ख' द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार 'क' के उक्त कृत्य के संबंध में कौनसा कथन सही है:–

(अ) 'क' को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह लोक सेवक नहीं है। ☐

(ब) 'क' को दोषसिद्ध किया जा सकता था, यदि 'ख' के द्वारा वह अपराध कारित कर दिया गया होता जिसके लिये उसे दुष्प्रेरित किया गया था। ☐

(स) 'क' को उसके कृत्य के लिये दोषसिद्ध किया जा सकता है । ☐

(द) उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। ☐

https://www.pyqonline.com

Question No.6

The act of a witness in refusing to sign his statement after his evidence is recorded in the court, causes offence under which Section of the Indian Penal Code, 1860:-

(A) 180 Indian Penal Code.

(B) 178 Indian Penal Code.

(C) 181 Indian Penal Code.

(D) The witness has not committed any offence. His act being of trifle nature, he cannot be proceeded against in view of Section 95 of the Indian Penal Code.

प्रश्न संख्या 6

न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के उपरांत, साक्षी द्वारा अपने कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का कृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा का अपराध कारित करता है:–

(अ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 180 का।

(ब) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 का।

(स) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 181 का।

(द) साक्षी ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य तुच्छ प्रकृति का होने से, भा.द.सं. की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य नहीं है।

Question No.7

Which organ of the body is affected by asphyxia?

(A) stomach.

(B) liver.

(C) pancreas.

(D) windpipe.

प्रश्न संख्या 7

एसफिक्सिया (ASPHYXIA) मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

(अ) पेट ।

(ब) यकृत ।

(स) अग्नाशय ।

(द) श्वांस नली ।

Question No.8

The accused, who is already convicted for offence punishable under Section 19 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, again commits an offence and is convicted, can be awarded penalty of death sentence under Section 31-A of the said Act on proof of the fact that he was found in possession of morphine in which of the following quantities:-

https://www.pyqonline.com

(A) 500 gram.
(B) 1250 gram.
(C) 1000 gram.
(D) none of the above.

प्रश्न संख्या 8

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा 19 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये सिद्ध–दोष व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध किये जाने की दशा में तदनंतर दोषसिद्ध होने पर, अभियुक्त को धारा 31–क के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड देने के लिए मार्फीन की कितनी मात्रा का कब्जे में पाया जाना,प्रमाणित होना आवश्यक है:–

(अ) 500 ग्राम ।
(ब) 1250 ग्राम ।
(स) 1000 ग्राम ।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Question No.9

When a case is transferred by a Sessions Judge under the provisions of Section 228(1)(a) of Code of Criminal Procedure, 1973, to the Chief Judicial Magistrate or any other Judicial Magistrate of first class, thereupon such Magistrate shall try the offence in accordance with the procedure:-

(A) For the trial of warrant cases or summons cases, as the nature of case.
(B) For the trial of warrant cases instituted on a police report.
(C) For the trial of warrant cases instituted other than on a police report.
(D) For the trial of summons cases.

प्रश्न संख्या 9

जब किसी सेशन न्यायाधीश द्वारा किसी मामले को विचारण के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 228(1) (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत, अंतरित किया जाता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण उस प्रक्रिया के अनुसार करेगा:

(अ) जैसी प्रकरण की प्रकृति है, अर्थात् वारण्ट मामलों या समन मामलों के विचारण हेतु विहित प्रक्रिया ।
(ब) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलों के विचारण के लिये प्रक्रिया ।
(स) पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारण्ट मामलों के विचारण की प्रक्रिया ।
(द) समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया ।

Question No.10

The interim compensation under Section 143-A of the Negotiable Instrument Act, 1881, shall be paid within sixty days from the date of the order and for how many days such period may be extended further, by the Court on sufficient cause being shown by the drawer of the Cheque:-

(A) not exceeding thirty days.

https://www.pyqonline.com

(B) not exceeding forty five days.

(C) not exceeding ninety days.

(D) none of the above.

प्रश्न संख्या 10

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143–क के प्रावधानों के अनुसार अंतरिम प्रतिकर का संदायचैक के लेखीवाल द्वारा आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जायेगा और चैक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर इस अवधि को न्यायालय द्वारा और कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है:–

(अ) तीस दिन से अनधिक ।

(ब) पैंतालीस दिन से अनधिक ।

(स) नब्बे दिन से अनधिक ।

(द) उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Question No.11

Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence is not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made for the punishment of such offence, be punished with:-

(A) Same punishment as is provided for main offence.

(B) May extend to one-fourth part of the longest term of imprisonment provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both.

(C) May extend to one-half part of the longest term of imprisonment provided for that offence, and with fine.

(D) May extend to one third part of the longest term of imprisonment provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both.

प्रश्न संख्या 11

जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाये और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए किसी दण्ड का अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो दण्डित किया जाएगा:–

(अ) समान दण्ड से, जो कि मुख्य अपराध के लिये है।

(ब) उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक अथवा जुर्माना जो उस अपराध के लिए उपबंधित है अथवा दोनों से ।

(स) उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक और जुर्माना से ।

(द) उस अपराध के लिये उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के एक तिहाई भाग तक अथवा जुर्माना, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है अथवा दोनों से।

Question No.12

'A' is tried for the murder of 'B' by intentionally shooting him dead.
The fact that 'A' was in the habit of shooting at people with intent to murder them, is:-

(A) relevant.

https://www.pyqonline.com

(B) irrelevant.

(C) admissible in evidence.

(D) relevant but inadmissible in evidence.

प्रश्न संख्या 12

'ए' साशय असन द्वारा 'बी' की मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए विचारित है । यह तथ्य कि 'ए' लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए आशय से असन करने का अभ्यस्त था:–

(अ) सुसंगत है।

(ब) विसंगत है।

(स) साक्ष्य में ग्राह्य है।

(द) सुसंगत है किन्तु साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

Question No.13

'A' has obtained a decree for the possession of land against 'B'. 'C', B's son, murders 'A' in consequence. The existence of the judgement is:-

(A) relevant.

(B) irrelevant.

(C) inadmissible in evidence.

(D) none of the above.

प्रश्न संख्या 13

'ए' ने 'बी' के विरूद्ध भूमि के कब्जे की डिकी अभिप्राप्त की है । 'बी' का पुत्र 'सी' परिणामस्वरूप 'ए' की हत्या करता है। उस निर्णय का अस्तित्व :–

(अ) सुसंगत है।

(ब) विसंगत है।

(स) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

(द) इनमें से कोई नहीं।

Question No.14

When the Court calls for a document and the document is not produced after notice to produce, the Court:-

(A) shall presume that such document was attested, stamped and executed in the manner required by law.

(B) may presume that such document was attested, stamped and executed in the manner required by law.

(C) shall not make any presumption.

(D) it is a presumption of fact which depends on facts and circumstances of the case.

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 14

जब न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा की जाती है और दस्तावेज पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं किया जाता है, तब न्यायालयः–

(अ) उपधारणा करेगा कि ऐसा दस्तावेज विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था।

(ब) उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा दस्तावेज विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था।

(स) कोई उपधारणा नहीं करेगा।

(द) यह एक तथ्य की उपधारणा है जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

Question No.15

Cannabis (hemp) means
(i) Charas
(ii) Ganja
(iii) any mixture with or without any neutral material of Charas
(iv) any mixture with or without any neutral material of Ganja

Which is the correct of above:-

(A) (i) is correct.

(B) (ii) is correct.

(C) (ii) and (iv) are correct.

(D) All the above (i), (ii), (iii) and (iv) are correct.

प्रश्न संख्या 15

'कैनेबिस' (हैम्प) से अभिप्रेत हैः–

(i) चरस ।

(ii) गांजा ।

(iii) चरस का किसी भी प्रकार का मिश्रण, चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो।

(iv) गांजा का किसी भी प्रकार का मिश्रण, चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो।

उपरोक्त में से कौनसा सही हैः–

(अ) (i) सही है ।

(ब) (ii) सही है ।

(स) (ii) व (iv) सही है ।

(द) उपरोक्त (i), (ii), (iii) व (iv) सभी सही हैं ।

https://www.pyqonline.com

Question No.16

The Presiding Officer of Internal Complaints Committee constituted under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, shall hold office for a period:-

(A) not exceeding three years from the date of nomination.

(B) two years which may extend upto four years from the date of appointment.

(C) not exceeding five years from the date of nomination.

(D) three years which may extend to four years from the date of appointment.

प्रश्न संख्या 16

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आन्तरिक शिकायत समिति का पीठासीन अधिकारी, पद पर अवधि तक रहेगा:–

(अ) नामांकन की दिनांक से तीन वर्ष से अनधिक अवधि हेतु ।

(ब) नियुक्ति की दिनांक से दो वर्ष तक, जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(स) नामांकन की दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक अवधि हेतु।

(द) नियुक्ति की दिनांक से तीन वर्ष तक, जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

Question No.17

An accused, who transmits sexually explicit material depicting children online, which is punishable under Section 67-B of the Information Technology Act, 2000, shall be tried by:-

(A) Special Court established under POCSO Act.

(B) Sessions Judge or Additional Sessions Judge.

(C) Judicial Magistrate 1st Class.

(D) Chief Judicial Magistrate.

प्रश्न संख्या 17

कोई अभियुक्त, जो बालकों को चित्रित करने वाली, लैंगिक सुस्पष्ट करने वाली सामग्री को ऑनलाईन परेषित करता है, जो कि सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67–ख के अन्तर्गत दण्डनीय है, उसका विचारण किया जायेगा:–

(अ) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत गठित विशिष्ट न्यायालय द्वारा।

(ब) सेशन न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश द्वारा।

(स) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा।

(द) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा।

Question No.18

Adoption proceedings under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, shall be disposed off by the Court within a period of:-

https://www.pyqonline.com

(A) one month from the date of filing.
(B) two months from the date of filing.
(C) three months from the date of filing.
(D) six months from the date of filing.

प्रश्न संख्या 18

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण कार्यवाहियों का निस्तारण न्यायालय द्वारा अवधि के भीतर किया जायेगा:--

(अ) फाईल किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर।
(ब) फाईल किये जाने की तारीख से दो माह के भीतर।
(स) फाईल किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर।
(द) फाईल किये जाने की तारीख से छः माह के भीतर।

Question No.19

When an Officer of the licensee or supplier disconnects the supply line of electricity upon detection of theft of electricity, he shall make a complaint in writing relating to commission of such offence in police station within:- https://www.pyqonline.com

(A) 24 hours.
(B) 48 hours.
(C) 72 hours.
(D) any time within a week.

प्रश्न संख्या 19

जब अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्त्ता का अधिकारी, विद्युत की चोरी का पता लगने पर विद्युत की प्रदाय लाईन को असंयोजित करता है, तब वह ऐसा अपराध कारित किये जाने के संबंध में पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत करेगा:—

(अ) 24 घंटे में।
(ब) 48 घंटे में।
(स) 72 घंटे में।
(द) एक सप्ताह में कभी भी।

Question No.20

Which of the following statements is correct in relation to procedure to be followed by Special Judge for the trial of cases under the Prevention of Corruption Act, 1988:-

(A) procedure prescribed for trial of Sessions cases shall be followed.
(B) procedure prescribed for trial of warrant cases shall be followed.
(C) procedure prescribed for trial of summons cases shall be followed.
(D) Special Judge may follow any procedure keeping in view the gravity of offence.

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 20

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा मामलों के विचारण के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रकिया के संबंध में कौनसा कथन सही है:-

(अ) सेशन मामलों के विचारण के लिए विहित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा। ☐

(ब) वारंट मामलों के विचारण के लिये विहित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा। ☐

(स) समन मामलों के विचारण के लिए विहित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा। ☐

(द) अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट न्यायाधीश किसी भी प्रकिया का अनुसरण कर सकता है। ☐

https://www.pyqonline.com

PART-B / भाग– ब
SUBJECTIVE/DESCRIPTIVE
विषयनिष्ठ / वर्णनात्मक

Note:- Question no.21 to 40 carry 3 marks each and question no.41 and 42 carry 10 marks each. (Total marks for this part are 80)

नोट:– प्रश्न संख्या–21 से 40, प्रत्येक हेतु 3 अंक निर्धारित हैं, एवं प्रश्न संख्या–41 व 42, प्रत्येक हेतु 10 अंक निर्धारित हैं। (इस भाग हेतु कुल अंक 80 हैं)

Question No.21 **(3 Marks)**

What is the abetment? Write a short note on the liability of the abettor for a different consequence than the abetted act brought about by his abetment.

प्रश्न संख्या 21

दुष्प्रेरण किसे कहते हैं ? दुष्प्रेरित कृत्य से भिन्न कार्य के परिणाम के लिये दुष्प्रेरक के दायित्व के संबंध में लघु टिप्पणी लिखिए।

Question No.22 **(3 Marks)**

'A' abets 'B' to set ablaze the house of 'X' on fire but 'B' after putting the house on fire, dishonestly stole the motorcycle of 'X'. Explain the liability of 'A' and 'B' in the light of the provisions of the Indian Penal Code.

प्रश्न संख्या 22

'अ' ने 'ब' को 'ख' का घर जलाने के लिये उकसाया, किंतु 'ब', 'ख' के घर में आग लगाने के बाद वहां से जाते समय 'ख' की मोटरसाईकिल को बेईमानीपूर्वक उठा कर ले गया । भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में 'अ' तथा 'ब' के उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिये।

Question No. 23. Explain any three of the following:- **(3 Marks)**

प्रश्न संख्या 23. निम्न में से किन्हीं तीन को स्पष्ट कीजिये:–

(A) Treason. (अ) राजद्रोह। **(1 Marks)**

(B) Stolen property. (ब) चुराई हुई सम्पत्ति। **(1 Marks)**

(C) Dowry death. (स) दहेज मृत्यु। **(1 Marks)**

(D) Grievous hurt. (द) गंभीर उपहति। **(1 Marks)**

(E) Rigorous imprisonment. (य) कठोर कारावास। **(1 Marks)**

(F) Public servant. (र) लोक सेवक। **(1 Marks)**

https://www.pyqonline.com

Question No.24 **(3 Marks)**

In what circumstances can the Court of Sessions cancel the bail? Can the bail granted by the High Court be cancelled by the Court of Sessions? Explain the legal position.

प्रश्न संख्या 24

सेशन न्यायालय के द्वारा किन दशाओं में जमानत निरस्त की जा सकती है ? क्या उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार की गई जमानत को सेशन न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है ? विधिक स्थिति स्पष्ट करें।

Question No.25 **(3 Marks)**

While narrating the limitation for taking cognizance of the offences, explain the situations in which cognizance can be taken after expiry of the period of limitation.

प्रश्न संख्या 25

अपराधों के प्रसंज्ञान की परिसीमाओं को वर्णित करते हुए, उन दशाओं को स्पष्ट करें जिनमें परिसीमा काल के अवसान के पश्चात् भी प्रसंज्ञान लिया जा सकता है ।

Question No.26 **(3 Marks)**

When and in what circumstances can a Court of Sessions summons an accused, who has been left out from the charge-sheet by the Investigating Officer, to stand the trial with other accused?

प्रश्न संख्या 26

कब एवं किन परिस्थितियों में सेशन न्यायालय, एक अभियुक्त जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप–पत्र से छोड़ दिया गया है, को आरोपित अन्य अभियुक्त के साथ विचारण करने हेतु आहूत कर सकता है ?

Question No.27 **(3 Marks)**

What preventive action can be taken by the law and order machinery under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989? Explain.

प्रश्न संख्या 27

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा किस प्रकार की निवारक कार्यवाही की जा सकती है ? स्पष्ट कीजिये।

Question No.28 **(3 Marks)**

Under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, what action can be taken against the complainant if the internal committee or the local committee, after enquiry, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent is false or malicious?

प्रश्न संख्या 28

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण से (रोकथाम, निवारण एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा जांच के पश्चात् मामला प्रत्यर्थी के विरूद्ध झूठा या विद्वेषपूर्ण पाये जाने पर, शिकायतकर्ता के विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है ?

Question No.29 **(3 Marks)**

Write a short note on the following in the context of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

https://www.pyqonline.com

प्रश्न संख्या 29

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए :-

(i) General clause relating to penalty. ($1\frac{1}{2}$ **Marks)**

शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध।

(ii) Penalty for misleading advertisement. ($1\frac{1}{2}$ **Marks)**

भ्रामक विज्ञापन के लिये शास्ति।

Question No.30 **(3 Marks)**

Explain with relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, as to by whom and under what circumstances immunity can be tendered to a person from the prosecution for any offence under the said Act or the Indian Penal Code.

प्रश्न संख्या 30

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 के सुसंगत प्रावधानों सहित स्पष्ट करें कि किसके द्वारा व किन दशाओं में एक व्यक्ति को उक्त अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति दी जा सकती है ।

Question No.31 **(3 Marks)**

What do you understand by "doctrine of double jeopardy"? Explain in context of relevant legal provisions.

प्रश्न संख्या 31

"दोहरे दण्ड से संरक्षण" के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ? सुसंगत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिये ।

Question No.32 **(3 Marks)**

When a statement may be considered as "dying declaration"? When there are multiple and contradictory dying declarations - then how the evidentiary value will be considered of such dying declarations.

प्रश्न संख्या 32

किसी कथन को "मृत्युकालिक कथन" कब माना जा सकता है ?जहां एक से अधिक एवं परस्पर विरोधाभासी मृत्युकालिक कथन हों, तब ऐसे मृत्युकालिक कथनों का साक्ष्यिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जायेगा ?

Question No.33 **(3 Marks)**

Describe the power of Appellate Court in case of appeal from a conviction.

प्रश्न संख्या 33

दोषसिद्धि से अपील की दशा में अपील न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिये।

https://www.pyqonline.com

Question No.34 **(3 Marks)**

Where an act constitutes an offence punishable under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and also under Indian Penal Code, then how the Court will pass the order of sentence?

प्रश्न संख्या 34

जहां किसी कृत्य से "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 " के अतिरिक्त "भारतीय दण्ड संहिता" के अधीन भी अपराध गठित होता है, तब न्यायालय द्वारा दण्डादेश किस प्रकार पारित किया जायेगा ?

Question No.35 **(3 Marks)**

Whether a Special Court constituted under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, can examine the child at a place other than the Court? Discuss with reference to relevant provisions.

प्रश्न संख्या 35

क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, किसी बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कर सकता है ? सुसंगत प्रावधानों के सन्दर्भ में विवेचन कीजिये।

Question No.36 **(3 Marks)**

Write short note on "Cyber Terrorism".

प्रश्न संख्या 36

"साईबर आतंकवाद" पर लघु टिप्पणी लिखें ।

Question No.37 **(3 Marks)**

What factors may be taken into account for imposing higher than the minimum punishment for any offence committed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

प्रश्न संख्या 37

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये न्यूनतम दण्ड से उच्चतर दण्ड अधिरोपित करने के लिए किन बातों पर विचार किया जा सकता है ?

Question No.38 **(3 Marks)**

Whether a sentence awarded under the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, be suspended or remitted or commuted? Discuss with reference to relevant provisions.

प्रश्न संख्या 38

क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 के प्रावधानों के अधीन दिये गये दण्डादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण किया जा सकता है ? सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या कीजिये ।

https://www.pyqonline.com

Question No.39 **(3 Marks)**

Write short note on **any three** of the following in context of Food Safety and Standard Act, 2006:-

प्रश्न संख्या 39

निम्न में से **किन्हीं तीन** पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के संदर्भ में लघु टिप्पणी लिखिए:–

(i)	Contaminant.	(i)	संदूषक।	**(1 Marks)**
(ii)	Food additive.	(ii)	खाद्य योज्यक।	**(1 Marks)**
(iii)	Food.	(iii)	खाद्य।	**(1 Marks)**
(iv)	Unsafe food.	(iv)	असुरक्षित खाद्य।	**(1 Marks)**
(v)	Adulterant.	(V)	अपद्रव्य।	**(1 Marks)**

Question No.40 **(3 Marks)**

Write short note on **any three** of the following:-

प्रश्न संख्या 40

निम्न में से **किन्हीं तीन** पर लघु टिप्पणी लिखिए:–

(A) Dishonestly. (अ) बेईमानीपूर्वक। **(1 Marks)**

(B) Reason to believe. (ब) विश्वास करने का कारण। **(1 Marks)**

(C) Good faith. (स) सद्भावपूर्वक। **(1 Marks)**

(D) Counterfeit. (द) कूटकरण। **(1 Marks)**

(E) Valuable security. (य) मूल्यवान प्रतिभूति। **(1 Marks)**

Question No.41 **(10 Marks)**

Write short note on each of the following:-

प्रश्न संख्या 41

निम्न में से प्रत्येक पर लघु टिप्पणी लिखिए:–

(i) "Residence order" under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. **(2 Marks)**

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,2005 के अन्तर्गत– 'निवास आदेश' ।

(ii) In what kind of cases the presumption can be raised as to the documents under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

https://www.pyqonline.com

किस प्रकार के प्रकरणों में स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दस्तावेजों के बाबत उपधारणा की जा सकती है ?**(2 Marks)**

(iii) What are the exceptions to murder under Section 300 of the Indian Penal Code? **(2 Marks)**

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–300 के अन्तर्गत "हत्या" के कौन से अपवाद हैं ?

(iv) "Misbranded food" under the Food Safety and Standards Act, 2006. **(2 Marks)**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत "मिथ्या छाप वाला खाद्य"।

(v) "Pardon". **(2 Marks)**

"क्षमादान"।

Question No.42 **(10 Marks)**

Write a judgement discussing statements of the witnesses with assumed names giving the reasons in support thereof, on any of the following two incidents:-

प्रश्न संख्या 42

निम्न में से किसी एक घटनाक्रम पर कल्पित नाम के साक्षीयों के कथनों का विवेचन करते हुए अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण सहित निर्णय लिखें:–

(I) Mahesh, who is addicted to opium and is also used to commit minor thefts, at 6:00 PM on 10.10.2018, tried to take away the motorcycle of Kishore, which was parked in front of his house situated at Ganpati Nagar, Jodhpur. Upon hearing the sound of motorcycle, Kishore tried to prevent him from taking his motorcycle away. In order to catch hold of him, Kishore armed with 'lathi' ran behind him, raising the sound 'chor-chor' and inflicted a 'lathi' blow at his back, as a result of which Mahesh lost his balance and fell on the ground with the motorcycle. On hearing hue and cry, the residents of locality, who were all fed up with frequent incidents of thefts, came there and they started beating Mahesh, as a result of which he sustained multiple injuries. Someone informed the police control room so the police also arrived at the place of occurrence. The police removed Mahesh to hospital in injured condition. Mahesh succumbed to his injuries during treatment. On the first information lodged by Ganesh, the brother of Mahesh, the police commenced investigation and thereafter filed charge-sheet against five accused for offence under Section 302 of the Indian Penal Code.

During the trial, statement of the doctor, who conducted the postmortem on the body of Mahesh, was recorded as a prosecution witness. The doctor, in his statement,

https://www.pyqonline.com

opined that Mahesh died due to internal injuries sustained by blunt weapons, leading to excessive bleeding and resultant shock. The Investigating Officer proved the arrest of the accused and on the basis of the information given by them recovery of 'lathis' used in the incident. No other cause could be established for the death of Mahesh even from the postmortem report. The police officials, who took Mahesh to the hospital, when produced as prosecution witnesses, deposed that Mahesh was subjected to beating by the accused while he lay on the ground, with 'lathis' and 'dandas'. No witness was produced by the accused in defence. However, they took the defence that they acted in exercise of their right of private defence to property and that they did not have any intention to cause any murder. Their defence was also that the injuries sustained by Mahesh were not sufficient in the ordinary course of nature to cause his death. Mahesh died only because he could not get timely treatment.

(I) महेश जो कि अफीम का नशा करने का अभ्यस्त है एवं छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है, दिनांक 10.10.2018 को सांयकाल 6 बजे गणपति नगर, जोधपुर में किशोर के घर के सामने रखी उसकी मोटरसाईकिल को हटा कर ले जाने लगा, तब किशोर मोटरसाईकिल की आवाज सुनकर, अपनी मोटरसाईकिल को ले जाने से रोकने के लिये महेश के पीछे लाठी लेकर चोर चोर का शोर मचाते हुए दौड़ा और उसकी पीठ पर प्रहार किया जिससे वह संतुलन खो बैठा तथा मोटरसाईकिल सहित गिर गया । तब शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी आ गये, जो आये दिन हो रही चोरियों से त्रस्त थे और उन्होंने महेश को मारना शुरू कर दिया जिससे उसके काफी चोटें आई । उसी समय किसी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर दिया तो पुलिस भी मौके पर आ गई । तदनंतर पुलिस ने महेश को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया किंतु उपचार के दौरान महेश की मृत्यु हो गई । महेश के भाई गणेश द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर अनुसंधान के पश्चात् किशोर सहित कुल पांच व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये आरोप–पत्र पेश किया गया ।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने महेश के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का बयान लेखबद्ध कराया, जिसमें मृतक महेश के शरीर के आंतरिक भागों में कुन्द हथियार से आई चोटों के कारण आंतरिक रूप से अत्यधिक रक्तस्त्राव होने से उत्पन्न शॉक से उसकी मृत्यु होना बताया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठियों को बरामद करने की साक्ष्य दी है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महेश की मृत्यु का कोई अन्य कारण स्थापित नहीं हुआ । महेश को अस्पताल ले जाने वाले पुलिसकर्मियों ने कथन किया कि अभियुक्तगण जमीन पर गिरे हुए महेश को लाठी–डंडों से मारपीट कर रहे थे ।

अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की । बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्तगण अपनी सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर रहे थे और उनका किसी की मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था । उनका यह भी कहना था कि महेश की चोट जीवन के लिए सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, अपितु समय पर समुचित उपचार नहीं मिलने से उसकी मृत्यु हुई है।

OR / अथवा

https://www.pyqonline.com

(II) On 22.08.2018, Vinesh, who was a habitual drinker, demanded Rs.500/- for liquor from Ram Prasad while he was going to hospital in village Rampura at 10:00 AM. Ram Prasad used to donate money to people but he refused to give money to Vinesh saying that he would not give money for such a sin. Vinesh got annoyed by refusal and inflicted a blow with sharp edged knife upon Ram Prasad. Ram Prasad stopped the blow by his right hand and it caused excessive and profuse bleeding in his hand. Vinesh ran away from there but some persons came there hearing the cries of Ram Prasad and put him in an ambulance but he could not reach hospital as tyre of ambulance got punctured on the way. Ram Prasad died because of heavy and excessive bleeding. An FIR was lodged by driver of the ambulance and a charge-sheet was filed after investigation against Vinesh for the offence punishable under Section 302 Indian Penal Code.

The doctor, who conducted autopsy, deposed in the court that death of Ram Prasad was caused due to shock occurring because of excessive bleeding by injury caused on his right hand. Investigating Officer gave evidence of recovery of knife on disclosure made by Ram Prasad. In FSL report the blood group found on knife was same as that of Ram Prasad. The persons taking Ram Prasad in ambulance also deposed that they were told by deceased that Vinesh demanded money from him and inflicted a blow of knife on refusal.

Vinesh took the plea of innocence while examined under Section 313 of the Code of Criminal Procedure. It was also argued by the defense that Ram Prasad gave grave provocation to Vinesh saying him drinker and Vinesh had no intention to cause the death of Ram Prasad and his death was not caused by injury inflicted, rather it was caused because he could not get medical aid timely.

(II) गांव रामपुरा में दिनांक 22.08.2018 को प्रातः 10 बजे जब रामप्रसाद अस्पताल जा रहा था तब विनेश ने रामप्रसाद से शराब पीने के लिये पांच सौ रूपये की मांग की । रामप्रसाद जो लोगों को रूपये दान करता रहता था, ने विनेश को रूपये देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐसे पाप के लिए धन नहीं देगा । रामप्रसाद की इंकारी से नाराज होकर विनेश ने उसके ऊपर धारदार चाकू से वार किया जिसे रामप्रसाद ने अपने दाहिने हाथ पर रोक लिया, किन्तु इससे उसके हाथ पर अत्यधिक रक्तस्त्राव होने लगा । यह देखकर विनेश वहां से भाग गया किन्तु कुछ लोग रामप्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आये ओर उसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जाने लगे परंतु रास्ते में एम्बुलेंस का टायर पंक्चर हो जाने से वह अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी भारी एवं अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मृत्यु हो गई । एम्बुलेंस के वाहन चालक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं अनुसंधान के पश्चात् विनेश के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि रामप्रसाद की मृत्य अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई है, जो कि उसके दाहिने हाथ पर आई उपहति के कारण हुआ था। अनुसंधान अधिकारी ने रामप्रसाद की सूचना पर चाकू बरामद करने की साक्ष्य दी है । एफ.एस.एल. रिपोर्ट में

https://www.pyqonline.com

चाकू पर उसी रक्त समूह का रक्त पाया गया, जो कि मृतक रामप्रसाद का था। रामप्रसाद को एम्बुलेंस में ले जाने वाले लोगों ने कथन किया कि मृतक ने उनको बताया था कि विनेश ने उससे रूपये मांगे और इन्कार करने पर उसने चाकू से वार किया ।

विनेश ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण के समय निर्दोष होने का अभिवाक् किया। बचाव पक्ष की ओर से यह भी बहस की गई कि रामप्रसाद ने विनेश को शराबी कह कर उसे गंभीर रूप से प्रकोपित किया और उसका आशय रामप्रसाद की मृत्यु कारित करने का नहीं था और रामप्रसाद की मृत्यु उसे आई चोटों के कारण नहीं हुई, बल्कि समय पर चिकित्सकीय सहायता न मिलने से हुई है ।

****

https://www.pyqonline.com